

MS

C.W-207637/13

पृष्ठ-118

सं.एम-13011/07/2013-आरएच


भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 28 नवम्बर, 2013



प्रधान सचिव,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर),
ग्रामीण विकास विभाग

विषय : आईएवाई दिशा-निर्देश (जून, 2013)(पैरा सं. 3.2.4 और पैरा सं. 4.1) में संशोधन
महोदय/महोदया

मुझे निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान जोड़कर आईएवाई दिशा-निर्देश में संशोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है :

पैरा सं. 3.2.4

5. व्यवसाय संबंधी रोगों, जैसेकि सिलिकोसिस, एसबेस्टोस से प्रभावित लोगों, कीटनाशकों इत्यादि के बहुत अधिक इस्तेमाल से प्रभावित या कालाआजार जैसे रोगों की महामारी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास।
6. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों, जिन्हें आमतौर पर एफआरए लाभार्थी कहा जाता है, को बसाना।
7. अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में विस्थापित होने को मजबूर लोगों को बसाना।

विशेषकर किफायती और हरित प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का प्रावधान बिन्दु सं. 8 में बनाए रखा जाएगा।

पैरा सं. 4.1

- (i) (क) इकलौती बेटा वाले परिवार
- (vi) कुष्ठ या कैसर पीड़ित सदस्य वाले परिवार
- (vii) एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति

अन्य बेघर बीपीएल परिवारों के लिए प्रावधान बिन्दु सं. (viii) पर बनाए रखा जाएगा।

भवदीय
अरुण कुमार धवन

(अरुण कुमार धवन)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23381272

प्रतिलिपि : एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त पत्र को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

VRD
संग्रह
को Circulate
19/12/13

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

जापांक 171953

पटना, दिनांक 19-12-13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(मार्गदर्शिका)-102-12/2013

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

aw
19.12.13
(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी